न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मीना गहलोत, RJS
नंबरी फौजदारी प्रकरण संख्या :– 179/2024
सी.आई.एस. नम्बर :– 655/2024
सी.एन.आर. नम्बर :– RJSG180012462024

सरकार

बनाम

कर्मजीत कौर व अन्य

चार्ज आदेश

अपराध अन्तर्गत धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471, 477ए, 120बी भारतीय दंड संहिता

उपस्थिति :–

1– विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य।

2– परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण सहगल।

3– अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री करणी सिंह राठौड़ व श्री संत कुमार।

:: आदेश :: दिनांक :–09.04.2026

01. हस्तगत प्रकरण में परिवादी प्रवेश कुमार ने अभियुक्तगण कर्मजीतकौर उर्फ कुलदीप कौर व अन्य के विरूद्ध एक परिवाद पत्र/इस्तगासा अन्तर्गत धारा 419, 420, 465, 468, 471, 477ए, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक 16.03.2022 को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिस पर सुनवाई करते हुए वास्ते जांच अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता तहत थानाधिकारी, पुलिसथाना–लालगढ़ जाटान को प्रेषित किया गया, जहाँ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 77/2022, उक्त धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान एफ.आर. अदमवकू(झूठ) में पेश किया गया, जिस पर परिवादी ने प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की और अपनी ओर से साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई, तत्पश्चात् दिनांक 24.04.2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 419, 420, 465, 468, 471, 477ए, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया।

02. प्रीचार्ज साक्ष्य में किसी भी प्रकार की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं करवाई गई।

03. बहस चार्ज सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तागण ने तर्क पेश किये कि पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि रानी ने कोई फर्जी दस्तावेज कूटरचित तैयार कर असल के रूप में उपयोग में लिया हो, ना ही नौकरी ज्योइन करने की कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य पत्रावली पर विद्यमान नहीं है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण को उक्त आरोप से उन्मोचित किया जाना न्यायहित में प्रार्थनीय है।

जबकि दौराने बहस अधिवक्ता परिवादी/अभियोजन अधिकारी ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा अन्तर्गत धारा 419, 420, 465, 468, 471, 477 ए, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया है कि रानी पत्नी गुरतेज ने बलदेव सिंह की पत्नी सिमरजीत कौर के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी रूप से नौकरी हासिल कर ली, जिसके सम्बन्ध में पत्रावली पर आगे कार्यवाही किये जाने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है। परिवादी पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने के लिए पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है। अतः अभियुक्तगण को उक्त धाराओं के आरोप से विरचित किये जाने का निवेदन किया।

04. बहस चार्ज उभय पक्षों सुनने , पत्रावली तथा सम्बन्धित विधि का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय का समाधान है कि प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रानी कौर उर्फ मनजीत कौर पुत्री करनैल सिंह निवासी माखां जिला सिरसा (हरियाणा) के शैक्षणिक दस्तावेजों का उपयोग बेइमानी से अपने नाजायज लाभ के लिए बेइमानी से करते हुए कर्मजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर पत्नी गुरतेज सिंह जाति जट सिख उम्र 50 वर्ष निवासी हाकमाबाद पुलिस थाना लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ने कुछ वर्ष पूर्व महिला एवं बाल विकास परियोजना राजस्थान सरकार के खण्ड सादुलशहर के हाकमाबाद केन्द्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति के तौर पर रोजगार का अवसर प्राप्त किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर नियुक्ति के लिए मिडल पास होने की शैक्षणिक अर्हता सरकार द्वारा तय की गई थी। उक्त कर्मजीत कौर उक्त नौकरी के लिए योग्य (अर्हता) नहीं थी और यह बात वह जानती थी। उक्त नौकरी को छल-बल से प्राप्त करने के लिए कर्मजीत कौर उर्फ

कुलदीप कौर ने अपनी बुआ की बेटी बहन उक्त रानी कौर उर्फ मनजीत कौर के साथ नौकरी हथियाने के लिए रानी कौर के कागजात इस्तेमाल करने के लिए आपराधिक साजिश गांव हाकमाबाद में कर्मजीत कौर के घर पर रखी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलने वाले मानदेय व अन्य भत्तों/खर्चों को बेइमानी से लेने व राजकोष को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से रानी कौर उर्फ मनजीत कौर ने अपने शैक्षणिक दस्तावेज कर्मजीत कौर के हवाले कर दिये। रानी कौर का मिथ्या प्रतिरूपण करते हुए तथा उसके कागजात मिडल उत्तीर्ण के दस्तावेजों को काल्पनिक व मिथ्या तौर पर असल की तरह काम में लेते हुए कर्मजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर ने राजस्थान सरकार की महिला एवं बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर नौकरी /अवसर प्राप्त किया। कर्मजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर ने यह अवसर प्राप्त करने के बाद खुद को झूठे तौर पर रानी कौर प्रदर्शित करते हुए अनेक सरकारी/गैर सरकारी कागजात पर रानी कौर के हस्ताक्षरों की कूटरचना की व मानदेय की धनराशि व अन्य खर्चों की धनराशि राजकोष से वसूल कर राजकोष को हानि पहुंचाई व खुद ने सदोष लाभ प्राप्त किया, जबकि कर्मजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर यह जानती थी कि वह रानी कौर नहीं है। सरकार को हुए नुकसान की गणना सम्बन्धित विभाग की लेखा शाखा द्वारा की जा सकती है। परिवादी, बलकरण सिंह, अंकुश बिश्नोई को उक्त बातों की जानकारी वर्ष 2021 में हुई तो परिवादी व उक्त जनों ने कर्मजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर को कहा कि वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर काम व अवसर का त्याग करे व राजकोष से अब तक उठाया धन वापस जमा करवा दे ताकि यह अवसर गांव/प्रदेश की किसी योग्य महिला को मिल सके। इस पर उक्त कर्मजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर नें कई दिनों तक टाल मटोल करने के बाद ऐसा करने से इन्कार कर दिया तो परिवादी ने सम्बन्धित विभाग के जिम्मेदार अफसरों को उक्त तथ्यों से अवगत करवाया लेकिन जिम्मेदार अफसरों नें कर्मजीत कौर को उसके पद से हटाने के बजाए उसे रखे रखा व मानदेय व खर्चों की अदायगी बरकरार रखते हुए गबन को सहन किया जिससे राजकोष के धन की हानि बढती गई। कर्मजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर ने खुद को रानी कौर बनाने के लिए ग्राम पंचायत हाकमाबाद के रिकॉर्ड में हेराफेरी की व तत्कालीन सरपंच जसवीर कौर के कूटरचित हस्ताक्षर व कूटरचित प्रविष्टियां करवाई व राशन कार्ड में अपना नाम फर्जी तरीके से बदलकर रानी कौर कर लिया ताकि उसके द्वारा किए जा रहे रानी कौर के मिथ्या प्रतिरूपण पर कोई शक शुबहा न कर सके। कर्मजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर द्वारा किए जा रहे उक्त कृत्य के

सम्बन्ध में परिवादी दिनांक 13.04.2021 को वास्तविक रानी कौर उर्फ मनजीत कौर पुत्री करनैल सिंह हाल पत्नी बलदेव सिंह जाति जट सिख निवासी मीरपुर कलां तहसील सरदूलगढ जिला मानसा (पंजाब) से मिला व कर्मजीत कौर से अपने कागजात वापस लेने के लिए कहा तो उसने भी कहा कि यह उन दो बहनों की रजामंदी का मामला है। उसके कागज उसकी बहन के काम आ रहे हैं तो तुम लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कर्मजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर के पिता का नाम बूटा सिंह पुत्र गुरनाम सिंह है, तथा माता का नाम नसीब कौर है जो जीवित अवस्था में वर्तमान में गांव देसूजोधा तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा) में निवास कर रहे हैं। मुल्जिमा रानी कौर उर्फ मनजीत कौर का पीहर गांव माखां तहसील कालांवाली जिला सिरसा (हरियाणा) है। रानी कौर के पिता का नाम करनैल सिंह पुत्र भाग सिंह व माता का नाम जसमेल कौर पत्नी करनैल सिंह निवासीगण गांव माखा तहसील कालांवाली जिला सिरसा (हरियाणा) है। सन् 1993 की हरियाणा राज्य की वोटर लिस्ट में रानी पुत्री करनैल सिंह के नाम से मुल्जिमा रानी का नाम दर्ज है। जिसमें उसकी माता का नाम जसमेल कौर अंकित है। दोनों मुल्जिमान का जन्म स्थान भिन्न भिन्न गांवों में है, इत्यादि।

05. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध मुख्यतः यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तगणद कर्मजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर पत्नी गुरतजे सिंह, निवासी गांव हाकमाबाद ने श्रीमति रानी कौर उर्फ मनजीत कौर पत्नी बलदेव सिंह निवासी मीरपुर कलां, तहसील-सरदूलगढ़, जिला-मानसा(पंजाब) के शैक्षणिक दस्तावेजों का उपयोग बेईमानी से कर्मजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर ने स्वयं लाभ अर्जित करने के लिए छल करते हुए महिला एवं बाल विकास परियोजना राजस्थान सरकार के खण्ड सादुलशहर के हाकमाबाद के आंगनबाड़ी केन्द्र पर बतौर कार्यकर्ता नियुक्त प्राप्ति की। इस सम्बन्ध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा पेश की **अनुसंधान रिपोर्ट का अवलोकन करें तो उसमें यह त**थ्य अंकित किये गये हैं कि आरोपीया श्रीमति रानीकौर का जन्म 20 अप्रैल 1970 में ग्राम पंचायत देसु जोधा जिला सिरसा हरियाणा में हुआ तथाकथित आरोपीया श्रीमति रानीकौर पीपली हरियाणा में कक्षा 8 वी तक पढाई की व आरोपीया के माता का नाम श्रीमति नसीबकौर पिता श्री करनैलसिह दादा जी का नाम गुरनामसिंह होना पाया गया। बाद में तथाकथित आरोपीया श्रीमति रानीकौर की शादी श्री गुरतेजसिह पुत्र रुपसिंह पुत्र जीतासिंह जटसिख निवासी वार्ड नं. 10 हाकमाबाद के साथ हो गई व दिनांक 5 मई 1998 को तथाकथित आरोपीया श्रीमति रानीकौर बाल विकास

परियोजना सादुलशहर में कार्यकर्ता के रुप में नौकरी लग गई। आरोपीया नौकरी नियुक्ति के समय अपना कक्षा 8 वीं, की अंकतालिका, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण की कोपी बेस पर नौकरी में नियुक्ति मिल गई। आरोपीया श्रीमति रानीकौर कि अकंतालिका कि जांच पूर्व में ही विभाग द्वारा करवाई गई। जो उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास श्रीगंगानगर द्वारा शिक्षा अधिकारी द्वारा करवाई गई जो अंकतालिका सही पाई गई। इसी विभाग में भी पूर्व में शिकायत मिलने पर विभाग द्वारा भी जांच अपने स्तर पर की गई जो सही होना पाया गया आरोपीया का बचपन का नाम तमाम हासिल दस्तावेज के अनुसार रानीकौर ही होना पाया गया। आरोपीया की शादी के बाद आरोपीया के ससुराल वाले प्यार से उर्फ नाम देकर कर्मजीतकौर के नाम से पुकारने लग गये, जब ग्राम पंचायत ने परिवार राशन कार्ड बनवाया तो कार्ड में गलती से आरोपीया का असली नाम रानीकौर न लिखकर उर्फ नाम ससुराल पक्ष द्वारा दिया गया कर्मजीतकौर लिखा गया तो आरोपीया ने अपना सही नाम राशन कार्ड में दर्ज करवाने के लिये अपनी हरियाणा बोर्ड कि अंकतालिका विकास अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश कर अपना असली नाम संशोधन कर अंकित करवाया। आरोपीया का असली नाम रानीकौर पुत्री करनैलसिह माता श्रीमति नसीबकौर पत्नी गुरतेजसिंह पुत्र रुपसिंह पुत्र जीतासिंह जटसिख निवासी हाकमाबाद पाया गया है। आरोपीया रानीकौर का नाम मनजीतकौर नहीं है और ना ही किसी ने आरोपीया को मनजीतकौर या कुलदीपकौर का नाम लेकर पुकारना पाया गया। कथित आरोपीया ने दिनांक 5.5.1998 वर्ष में महिला एवं बाल विकास परियोजना राजस्थान सरकार के खण्ड सादुलशहर के हाकमाबाद केन्द्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति कि उस समय आरोपीया द्वारा कक्षा 8 वीं, की अकंतालिका, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण की कोपी पेश कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर नियुक्ति प्राप्त करना पाया, आरोपीया की बुआ की बेटी बहन मनजीत कौर पुत्री करनैलसिह पुत्र भागसिंह माता श्रीमति जसबीरकौर पत्नी बलदेवसिंह जटसिख निवासी मांखा तहसील डबवाली जिला सिरसा हाल निवासी मीरपुर कलां तहसील सरदूलगढ जिला मानसा पंजाब है। आरोपीया की बुआ की बेटी बहन मनजीतकौर को ससुराल में प्यार से उर्फ नाम रानीकौर से पुकारने लग गये, जबकि मनजीतकौर का नाम रानीकौर नहीं होना पाया गया। आरोपीया द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय पीपली जिला सिरसा से पढाई करना पाया गया। आरोपीया कि इस अकंतालिका की जांच पूर्व में शिकायत होने पर विभाग द्वारा सन् 2018 मे कि गई जो सही पाई गई। आरोपीया की बुआ की बेटी मनजीतकौर उर्फ रानीकौर से शैक्षणिक

दस्तावेज प्राप्त कर नौकरी में लगना नहीं पाया गया। आरोपीया द्वारा मनजीतकौर उर्फ रानीकौर के कागजात का मिथ्या प्रतिरूपण करना नहीं पाया गया व ना ही आरोपीया द्वारा मिडल उत्तीर्ण के दस्तावेजों को काल्पनिक व मिथ्या तौर पर असल के रुप में काम में लेकर राजस्थान सरकार की महिला एवं बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नौकरी प्राप्त करना पाया गया। कर्मजीतकौर उर्फ कुलदीपकौर के पिता का नाम बूटा सिंह पुत्र गुरनाम सिंह तथा माता का नाम नसीब कौर किसी ओर व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन आरोपीया का नाम तो रानीकौर उर्फ ससुराल में प्यार से कर्मजीतकौर पुकारने का नाम है। आरोपीया का पिता का नाम करनैलसिह दादाजी का नाम गुरनामसिह निवासी देसू जोधा तहसील डबवाली जिला सिरमा (हरियाणा) हैं। आरोपीया कि बुआ की बेटी बहिन मनजीत कौर पुत्री करनैलसिह पुत्र भागसिह माता का नाम जसबीरकौर है। जिसका उर्फ नाम ससुराल से प्यार से रानीकौर कह कर पुकारने लग गये। निवासी माखां तहसील कालांवाली जिला सिरसा (हरियाणा) है। (माता) उसकी बुआ का नाम जसमेल कौर नहीं होना पाया गया है। जो किसी और का नाम हो सकता है। आरोपीया का नाम ससुराल के राशनकार्ड में उर्फ नाम वाला नाम कर्मजीत कौर लिखा गया। आरोपीया द्वारा पूर्व सरपंच श्रीमति जसवीर कौर के फर्जी हस्ताक्षर नहीं करना पाया गया। इन तमाम दस्तावेज में आरोपीया का नाम रानीकौर ही अंकित होना पाया गया है।

06. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रकट हो कि तथाकथित आरोपिया ने कर्मजीतकौर उर्फ कुलदीप कौर निवासी हाकमाबाद द्वारा रानी कौर उर्फ मनजीत कौर पुत्री बलदेव सिंह, निवासी–माखां जिला सिरसा हरियाणा के शैक्षणिक दस्तावेजात का बेईमानीपूर्वक उपयोग कर राजस्थान सरकार की महिला एवं बाल विकास परियोजना में आगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर नौकरी प्राप्त की हो एवं उसके द्वारा रानी कौर के मिथ्या हस्ताक्षरों की कूटरचना एवं मानदेय की धनराशि एवं अन्य खर्चों की धनराशि राजकोष से वसूल कर राजकोष को हानि पहुंचाई हो। अतः अभियुक्तगण का आचरण और कृत्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471, 477 ए, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं होता है और अभियुक्तगण के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण में आगे कार्यवाही किये जाने के कोई पर्याप्त आधार विद्यमान नहीं होने और प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471,

477 ए, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप विरचित किया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रकट नहीं होता है।

आदेश

07. लिहाजा अभियुक्तागण (1) कर्मजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर पत्नी गुरतेज सिंह उम्र–47 वर्ष, निवासी हाकमाबाद, पुलिसथाना–लालगढ़ जाटान व (2) रानी कौर उर्फ मनजीत कौर पत्नी बलदेव सिंह निवासी मीरपुर कलां, तहसील–सरदूलगढ़, जिला मानसा(पंजाब) के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471, 477 ए, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं पाये जाने पर उक्त अभियुक्तगण को धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471, 477 ए, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से साक्ष्य के अभाव में उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तागण के पूर्व उपस्थिति बाबत् जमानत –मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(मीना गहलोत)

08. आदेश आज दिनांक 09.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(मीना गहलोत)